उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-61/2018/731/92-2-2018-61जॉच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 14 जून,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पिरमण्डल-झांसी में तैनाती के दौरान डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों में आंतरिक सी0सी0 सडको के निर्माण कार्य एवं धन आवंटन के संबंध में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झांसी की ओर से हस्ताक्षर कर आख्या/ सूचना निदेशालय को प्रेषित करने के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-158/2017/1310/92-2-17-61जांच/2017 दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झांसी सम्प्रति पी0आई0यू0-बांदा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल--झांसी सम्प्रति पी0आई0यू0 बांदा को ग्रामीण अिभयंत्रण अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या--2434/92-1-2017-75अधि0/2015 दिनांक 12-10-2017 द्वारा दी गयी अनिवार्य सेवानिवृत्त के दृष्टिगत संगत नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0--24/2018/263/92-2-18-61जांच/2017 दिनांक 02-02-2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया था।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र सं0-1912/ ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जांच/श्री ए0के0 गुप्ता/सहा0अभि0/2017-18 दिनांक 17-03-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता पर आरोप स्थापित न पाये जाने के द्रष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-08-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 के आदेश दिनांक 12-10-2017 द्वारा जिसमें श्री ए0के0 गुप्ता, सहायक अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्त प्रदान की गयी थी, के द्रष्टिगत संगत नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-02-2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया था, को समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सख्या- 62/2018/731(1)/2018/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहा0 अभि, ग्रा0अ0वि0 परि0-झांसी सम्प्रति सेवानिृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।